27.1.17

वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी

अवकाश पर है। ..... पेश किया

नकल दिलाई गई। वास्ते मूलवाद पत्रावली

दिनांक 31.8.17 को पेश हो।

31/8/17

वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/वकीलों का कार्य

स्थगित है। ..... पेश किया, नकल दिलाई

गई। वास्ते ..... दिनांक 21.6.17 को पेश हो।

21.6.17

पत्रावली का लोक अदालत में

निस्तारण नही हो सका/पत्रावली वास्तं

मूलवाद दि० 15.9.17 को पेश हो।

अध्यक्ष एव उप खण्ड अधिकारी

लोक अदालत (रामगढ) अलवर

15/9/17

वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी

वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन ..... पेश किया

व्यस्त है। ..... पत्रावली

नकल दिलाई गई। वास्ते मूलवाद

दिनांक 8/12/17 को पेश हो।

8/12/17

वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी

व्यस्त है। ..... पेश किया

नकल दिलाई गई। वास्ते मूलवाद पत्रावली

दिनांक 16/02/18 को पेश हो।

16.2.18

वादी के वकील/वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी

व्यस्त है। ..... पेश किया

नकल दिलाई गई। वास्ते मूलवाद पत्रावली

दिनांक 20.4.18 को पेश हो।

10.5.18:- पक्षकार आज आपसी हर्जाने राशि का भुगतान पाया में पेश हुए। मूलवाद 300/ मुकदमा NOT Press. पक्षकारान में राजीनामा से मुक्त है। प्रा० पत्र RTA 212 राजीनामा पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी

रामगढ (अलवर)

मूलवाद / जवाबदावा

2/208/2014

मूलचन्द सिंह

Richar

जवाबदेही